न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.
पत्रावली संख्या : 13/25 (विविध प्रार्थना पत्र)
जीसीएमएस नम्बर : 2025/39

1. श्री भगा पिता माना डांगी निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली।

.................प्रार्थी

बनाम

1. श्री डालु पिता जीवा डांगी निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली।
2. श्री हमेरलाल पिता कुका डांगी निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली।
3. सवी पुत्री कुका डांगी निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली।
4. गंगा पुत्री कुका डांगी निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली।
5. भंवरी पुत्री कुका डांगी निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली।
6. श्री गोपा पिता उदा डांगी निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली।
7. श्री जेता पिता धन्ना डांगी निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली।
8. श्री दुदा पिता सुखा डांगी निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली।
9. श्री मांगीलाल पिता रूपा डांगी निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली।
10. श्री खरता पिता रूपा डांगी निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली।
11. श्री गहरीलाल पिता माना डांगी निवासी बांसलिया तहसील मावली।
12. श्री दीपलाल पिता माना डांगी निवासी बांसलिया तहसील मावली।
13. श्री भुरालाल पिता माना डांगी निवासी बांसलिया तहसील मावली।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
15. पटवारी, पटवार हल्का बांसलिया तहसील मावली।

................विपक्षीगण

उपस्थित :— 1. श्री रोशनलाल डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 19.02.2025

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा रेडियाखेडी पटवार हल्का बांसलिया तहसील मावली की आराजी नम्बर 79 रकबा 0.6556 हेक्टेयर कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 11 से 13 के नाम पर संयुक्त रूप से खातेदारी हक से अंकित हैं।
2. यह कि मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 11 से 13 [illegible] खातेदारी की उक्त वर्णित आराजी नम्बर 79 के दक्षिणी पडौस में आराजी नम्बर [illegible] रकबा 0.1862 हेक्टेयर एवं आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:34:14 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर 96 रकबा 0.0243 हेक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। आराजी नम्बर 95 खातेदार कुका पुत्र जीवा डांगी एवं विपक्षी संख्या 1 के नाम पर हिस्सानुसार तथा आराजी नम्बर 96 मुझ प्रार्थी व विपक्षी संख्या 6 से 8 व 11 से 13 एवं खातेदार रूप पुत्र उदा डांगी के नाम पर हिस्सानुसार संयुक्त खातेदारी हक से वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज है। खातेदार कुका व रूपा की मृत्यु हो चुकी है। कुका के वारिस विपक्षी संख्या 2 से 5 है एवं रूपा के वारिस विपक्षी संख्या 9, 10 है। इस प्रकार उक्त वर्णित कृषि भूमि की दक्षिणी दिशा के विपक्षी संख्या 1 से 10 पडौसी है।

3. यह कि मुझ प्रार्थी व विपक्षी संख्या 11 से 13 की सहखातेदारी की कृषि भूमि के चारो दिशाओ की सीमा पर वर्तमान में कांटो/थौहर की बाड ही की हुई है जिससे उक्त कृषि भूमि के आसपास घुमने वाले आवारा मवेशी हमारी कृषि भूमि में घुस जाते है और फसलो को नष्ट कर नुकसान पहूंचाते है एवं उक्त कृषि भूमि के पडौसी खातेदारान एवं उनके वारिसान अर्थात विपक्षी संख्या 1 से 10 से भी सीमा को लेकर हर समय विवाद होने की सम्भावनाएं बनी रहती है। इसलिए हम उक्त कृषि भूमि की समुचित सुरक्षा के लिए उसके चारो तरफ पक्की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराना चाहते है तथा हमारी भूमि की दक्षिणी दिशा के पडौसी विपक्षी संख्या 1 से 10 के अलावा अन्य दिशाओं के पडौसी खातेदारान से हमारी भूमि की सीमा को लेकर कोई विवाद नहीं है और वे बाउण्ड्रीवाल निर्माण कराने के कार्य से सहमत है किन्तु विपक्षी संख्या 1 से 10 बिना पत्थरगढी कराये बाउण्ड्रीवाल हेतु सहमत नहीं है जिससे उक्त कृषि भूमि की दक्षिणी दिशा की सीमा की पत्थरगढी करा सीमांकन कराना आवश्यक है ताकि भविष्य में हमारी कृषि भूमि की सीमा को लेकर विपक्षी संख्या 1 से 10 से किसी प्रकार का व्यर्थ का विवाद नहीं होगा और हमें हमारी भूमि के उपयोग उपभोग करने में कोई अडचन नहीं आयेगी।

4. यह कि हमने अपनी उक्त वर्णित कृषि भूमि की विधिवत रूप से सीमा जानकारी कराये जाने हेतु तहसीलदार सा. के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार सा. द्वारा सीमा जानकारी हेतु पटवारी को निर्देशित किया। तहसीलदार सा. के आदेशानुसार पटवारी द्वारा मौके पर पहूंचकर सीमा जानकारी कि किन्तु पटवारी द्वारा की गई सीमा जानकारी से हम संतुष्ठ नहीं हूंवे फिर भी पटवारी ने सीमा जानकारी से संतुष्ठ होने की बात मौका पर्चा में अंकित कर दी। इसलिए उक्त कृषि भूमि की दक्षिणी दिशा की सीमा की पत्थरगढी कराना जरूरी हो गया हैं। इसलिए मुझ प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हैं।

5. यह कि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्ध [illegible] त्र कारण दिनांक 05.01.2025 को उत्पन्न हुआ जब मुझ प्रार्थी [illegible] री उक्त [illegible] भूमि के दक्षिणी दिशा के पडौसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.04.22 17:34:14 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी संख्या 1 से 10 को हमारी कृषि भूमि की सीमाओ की पत्थरगढी कराने में सहयोग प्रदान करने के लिए कहा तो विपक्षी संख्या 1 से 10 इसके लिए तैयार नहीं हुए और कोर्ट में दावा कर पत्थरगढी करवाने के लिए कहा। तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

6. अन्त में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय का आदेश फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 11 से 13 की सहखातेदारी कृषि भूमि की दक्षिणी दिशा की सीमा की पत्थरगढी कराई जाकर स्थायी सीमांकन कराया जावे तथा हमारी खातेदारी की कृषि भूमि पर विपक्षी संख्या 1 से 10 का अवैध कब्जा एवं निर्माण पाया जावे तो हमारी कृषि भूमि से विपक्षी संख्या 1 से 10 के खर्चे से इनका अवैध कब्जा एवं निर्माण हटवाया जाकर हमारी कृषि भूमि का कब्जा हमको सुपुर्द किये जाने हेतु आदेशित किया जावें।

7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 6, 8 से 13 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। विपक्षी संख्या 7 के विरूद्व कार्यवाही ड्रोप की ई। विपक्षी संख्या 14, 15 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नहीं करना चाहा।

8. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस पर मनन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि मौजा रेडियाखेड़ी पटवार हल्का बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 62 पर दर्ज आराजी नम्बर 79 रकबा 0.6556 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 11 से 13 के नाम सहखातेदारी अधिकार से हिस्से अनुसार दर्ज है। उक्त आराजीयात में विपक्षी संख्या 1 से 10 का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि की पत्थरगड़ी करवाना चाहता है। चुंकि प्रार्थी उक्त भूमि का रिकॉर्डेड सहखातेदार काश्तकार है, ऐसे में अपनी खातेदारी की भूमि का पत्थरगड़ी करवाने का प्रार्थी को पूर्ण अधिकार है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6, 8 से 13 बावजूद सूचना अनुपस्थित है ऐसे में जाहीर होता है कि प्रार्थी की सहखातेदारी हक की भूमि का सिमाकंन कर पत्थरगड़ी की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

9. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/– रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा रेडियाखेड़ी पटवार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Rupadia
Date: 2025.04.22 17:34:14 IST
Reason: SelfAttested

हल्का बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 62 पर दर्ज आराजी नम्बर 79 रकबा 0.6556 हेक्टेयर भूमि की दक्षिण दिशा का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी प्रार्थी/सभी सहखातेदार एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में की जावे। फीस कमिश्नर प्रार्थी मौके पर अदा करें।

10. तहसीलदार मावली को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

11. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:34:14 IST
Reason: SelfAttested